

अन्तिम डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत: उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 170/2021

उनवान

1. पुरुषोत्तम पिता मगनलाल दर्जी जाति दर्जी निवासी कोटडा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादी

बनाम

1. हरीराम पिता मगनलाल दर्जी जाति दर्जी निवासी कोटडा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक **25.3** 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पटवार हल्का कोटडा के मौजा कोटडा की खातासंख्या 242 (नया), 197 (पुराना) के सर्वे नम्बर 589 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 1077/1 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 2913/1 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2914/1 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 2915 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 2916 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 06 रकबा 0.30 हे0 भूमि पुरुषोत्तम पिता मगनलाल जाति दर्जी रहन ICICI बैंक शाखा बेडवा एवं सर्वे नम्बर 588 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 1077/2 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 2913/2 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 2914/2 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 2916/2 रकबा 0.10 कुल किता 05 रकबा 0.30 हे0 भूमि हरिराम पिता मगनलाल जाति दर्जी रहन ICICI बैंक शाखा बेडवा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार अरथूना को भिजवाई जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक **25.3.2025** को जारी की गई।


(श्रवण सिंह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी,

गढी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

| मुद्दे | रूपया पैसा | मुद्दवायलह | रूपया पैसा |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| स्टाप की अरजी दावा | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य |
| स्टाम्प वहज सबुत | शून्य | मेहनतनामा वकील | शून्य |
| मेहनतनामा वकील | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य |
| बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | मुतफरीक | शून्य |
| मुतफरीक | शून्य | | शून्य |
| कुल | शून्य | कुल | शून्य |


 उपखण्ड अधिकारी
 गढी
 उपखण्ड अधिकारी
 गढी, जिला बांसवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 170/2021

उनवान

1. पुरुषोत्तम पिता मगनलाल दर्जी जाति दर्जी निवासी कोटडा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।

--: वादी

बनाम

1. हरीराम पिता मगनलाल दर्जी जाति दर्जी निवासी कोटडा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।

--: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25-3 2025


संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विचाराधीन उक्त प्रकरण में निर्णय/प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अरथूना को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाने पर तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:-

पुरुषोत्तम पिता मगनलाल जाति दर्जी के हिस्से में :-


| खाता संख्या | सर्वे नम्बर | रकबा |
|-------------------------------|-------------|------|
| 242 (नया), 197 (पुराना) | 589 | 0.10 |
| (जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078) | 1077 / 1 | 0.05 |
| | 2913 / 1 | 0.03 |
| | 2914 / 1 | 0.01 |
| | 2915 | 0.01 |
| | 2916 | 0.10 |
| योग:- | 06 | 0.30 |

हरिराम पिता मगनलाल जाति दर्जी के हिस्से में :-

| खाता संख्या | सर्वे नम्बर | रकबा |
|-------------------------------|-------------|------|
| 242 (नया), 197 (पुराना) | 588 | 0.11 |
| (जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078) | 1077 / 2 | 0.05 |
| | 2913 / 2 | 0.02 |
| | 2914 / 2 | 0.02 |
| | 2916 / 2 | 0.10 |
| योग:- | 05 | 0.30 |


उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा


तहसीलदार, अरथूना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का कोटडा के मौजा कोटडा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के 242 (नया), 197 (पुराना) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करते हुए ICICI बैंक शाखा बेडवा का रहन दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।


(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

तहसीलदार, अरथूना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का कोटडा के मौजा कोटडा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के 242 (नया), 197 (पुराना) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करते हुए ICICI बैंक शाखा बेडवा का रहन दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार अरथूना को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2025 को जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा